

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या 01/2022 खाद्य सुरक्षा  
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा **बनाम** गिरीराज कुमार बिड़ला पुत्र रमेश चन्द मैसर्स नटराज होटल , बस स्टेण्ड मांडल, जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51-

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता - विपक्षी की ओर से

**आदेश**

दिनांक 26.05.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी गिरीराज कुमार बिड़ला पुत्र रमेश चन्द की फर्म नटराज होटल , बस स्टेण्ड मांडल, जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को मावा बर्फी (Loose) का विक्रय कर रहा था। गिरीराज कुमार बिड़ला पुत्र रमेश चन्द कि फर्म नटराज होटल, बस स्टेण्ड मांडल, जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी गिरीराज कुमार बिड़ला पुत्र रमेश चन्द की फर्म नटराज होटल, बस स्टेण्ड मांडल, जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को मावा बर्फी (Loose) का विक्रय कर रहा था।



विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मावा बर्फी (Loose) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में मावा बर्फी (Loose), B.R Reading of extracted fat at 40°C, 52.0 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 40.0 To 43.0 होना चाहिए एवं Reichert value of extracted fat 5.57 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Not Less than 28 (Milk Fat) होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड मावा बर्फी (Loose) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।


विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं। फिर भी पहली गलती मानते हुये प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /467/एक्ट /2021/266 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, मावा बर्फी (Loose) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने मावा बर्फी (Loose) में B.R Reading of extracted fat at 40°C, 52.0 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 40.0 To 43.0 होना चाहिए एवं Reichert value of extracted fat 5.57 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Not Less than 28 (Milk Fat) होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं



अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 20,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।


निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 गिरीराज कुमार बिडला पुत्र रमेश चन्द , मैसर्स नटराज होटल , बस स्टेण्ड मांडल ,जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करे ।



  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)  
भीलवाड़ा (राज.)